डी.एफ.सी.सी.आई.एल का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता नीति, 2014

1.0 प्रस्तावना

1.1 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, निगमित अंत:करण, कॉर्पोरेट नागरिकता, सामाजिक निष्पादन या स्थिरता उत्तरदायित्व भी कहलाता है) व्यवसाय मॉडल में एकीकृत निगमित स्वत: विनियम का प्रारूप है। व्यवसाय द्वारा निरंतर नीतिपरक निष्पादन की प्रतिबद्धता तथा कुल मिलाकर स्थानीय समुदाय एवं समाज के साथ-साथ वर्कफोर्स तथा उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के दौरान आर्थिक विकास में सहयोग करना। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अविभाज्य, स्वत: विनियमित क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है जिससे व्यवसाय की मॉनीटरिंग की जा सके और विधि के जीवट, नीतिपरक मानदंडों एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ इसका सक्रिय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

1.2 सी.पी.एस.ई द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन में वार्षिक रूप से प्रविष्ट मद के माध्यम से डी.पी.ई, सी.एस.आर के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग भी करता है। डी.पी.ई समय-समय पर इस विषय में दिशा-निर्देश भी जारी करता है।

1.3 भारत सरकार ने अगस्त 2013 में कम्पनी अधिनियम 2013 बनाया । कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (इसके पश्चात् इसका संदर्भ 'अधिनियम' से है) का संबंध निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) से है। यह कम्पनी के लिए सकल मूल्य, कुल बिक्री तथा शुद्ध लाभ पर आधारित अर्हक मानदंड निर्धारित करता है जिनके द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियां की जानी अपेक्षित हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ चयन, कार्यान्वयन की विस्तृत कार्य-रीति तथा कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों की मॉनीटरिंग करेगा। वे गतिविधियां जिसे कम्पनी द्वारा अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में शामिल किया जाना है और अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध है। अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान और अधिनियम की अनूसूची-VII सी.पी.एस.ई सहित सभी कम्पनियों पर लागू है।

1.4 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सी.एस.आर नियम बनाए हैं और ये दिनांक 27.2.2014 से अधिसूचित हैं (बाद में यह सी.एस.आर नियम के रूप में संदर्भित होंगे)। सी.एस.आर नियम दि.01.04.2014 से सी.पी.एस.ई सहित सभी कम्पनियों पर लागू हैं। सी.एस.आर नियमों के अनुसार "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर)" का अर्थ इसमें सम्मिलित है, परंतु यह निम्न तक सीमित नहीं है: (i) अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम तक या (ii) कम्पनी की घोषित सी.एस.आर नीति के अनुसार बोर्ड की सी.एस.आर समिति की सिफारिशों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल(बोर्ड) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम इस शर्त पर कि ऐसी नीति अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लेखित विषयों को कवर करेगी।

2.0 डी.एफ.सी.सी.आई.एल का सी.एस.आर संदृश्य

2.1 डी.एफ.सी.सी.आई.एल में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता है ताकि संपोषित आधार पर समुदाय तथा स्टेकहोल्डरों के जीवन की गुणता सुधार हेतु सक्रिय भूमिका अदा कर अपना सामाजिक दायित्व पूरा किया जा सके, अधिमानत: परियोजना क्षेत्र में जहां काम चल रहा है। सी.एस.आर गतिविधियों को संपूर्ण प्रतिबद्धता तथा पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाए ।

3.0 डी.एफ.सी.सी.आई.एल की सी.एस.आर नीति का विवरण

3.1 डी.एफ.सी.सी.आई.एल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति है "शेयर होल्डर, कर्मचारी, स्थानीय समुदाय तथा समग्र समाज सहित सभी स्टेकहोल्डरों की सामाजिक जिम्मेवारी के प्रति उत्तरदायी निगमित सत्ता के रूप में सचेत रहना" ।

4.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कवर मुख्य परिणामी क्षेत्र

4.1 सामान्यत: अल्प सुविधा प्राप्त तथा पिछड़ा समुदाय/क्षेत्र, जहां डी.एफ.सी.सी.आई.एल का अपना व्यवसाय संचालन है वो नीति के अंतर्गत कवर होगा। समाज के वंचित, अल्प सुविधा प्राप्त, उपेक्षित तथा कमजोर वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व, अल्पसंख्यक, बी.पी.एल परिवार, वृद्ध एवं महिलाएं/बाल कन्याएं, दिव्यांग इत्यादि सम्मिलित हैं ।

4.2 विभिन्न सी.एस.आर गतिविधियों की सूची अद्यतन की गई है और हाल ही बने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII पर आधारित गतिविधियों की सूची का लेखा लेते हुए संलग्नक-II के रूप में साथ लगी है। यह सूची केवल सांकेतिक प्रकृति की है। समय-समय पर डी.पी.ई/सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नए मदों को जोड़ा/संशोधित किया जा सकता है। संलग्नक-II में दर्शाई प्रविष्टियों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए ताकि संलग्नक में सूचीबद्ध विषयों का सार समझ में आ सके। सूचीबद्ध मदें व्यापक आधार वाली होनी चाहिए और गतिविधियों की व्यापक रेंज कवर करने में समर्थ हो।

4.3 सी.एस.आर के अंतर्गत कवर न होने वाली गतिविधियां

निम्न गतिविधियां सी.एस.आर वर्कस का हिस्सा नहीं होंगी :

क. सी.एस.आर. गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए शुद्ध फंडिंग या कार्यक्रम के लिए वित्त प्रबंधन

ख. डी.एफ.सी.सी.आई.एल द्वारा किसी भी प्रकार का चंदा, चैरिटी

ग. कर्मचारी हितलाभ से संबंधित गतिविधियां एवं व्यय

घ. कम्पनी अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत किसी राजनीतिक पार्टी को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राशि का योगदान ।

5.0 सी.एस.आर का कार्यान्वयन

5.1 साझेदारी एप्रोच

आवश्यकता के अनुसार, डी.एफ.सी.सी.आई.एल कार्य इत्यादि के लिए स्वयं या उन विशेषज्ञ एजेंसी/ एन.जी.ओ. ट्रस्ट/मिशन/सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संगठनों/अनुबंधित एजेंसी से चिह्नित गतिविधियां करवाएगा, जिन्हें चिह्नित गतिविधियां करने का अपेक्षित

अनुभव है। एजेंसी/संगठन, अन्य एजेंसी के साथ सहयोग करके या एकल रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त होगी। डी.एफ.सी.सी.आई.एल इसकी मॉनीटरिंग करेगा और समाज की आवश्यकता के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से सर्विस की डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। गतिविधियों को माइलस्टोन एवं डेडलाइन के साथ परियोजना के रूप में लिया जाए।

5.2 सी.एस.आर समिति का गठन

बोर्ड की उप समिति जिसे "निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति" के रूप में जाना जाएगा जिसमें तीन निदेशक होंगे जिसमें से कम से कम एक कम्पनी अधिनियम, 2013की धारा135(3) के अनुरूप स्वतंत्र निदेशक होगा जोकि निदेशक मंडल द्वारा गठित होगी और इसके निम्न सदस्य होंगे :-

क. श्री. एच.डी.गुजराती, निदेशक/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, संयोजक

ख. श्री. गिरीश पिल्लई, नामित निदेशक तथा

ग. श्री. आर.एस.शर्मा, स्वतंत्र निदेशक, इसके सदस्य के रूप में

5.3 विचारार्थ विषय

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति-

क. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति बनाएगा और बोर्ड को सिफारिश करेगा जोकि कम्पनी द्वारा की जा रही गतिविधियों को दर्शाएगा जैसा कि अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट है। (संलग्नक-II में सम्मिलित)

ख. खंड(क) में संदर्भित गतिविधियों पर व्यय होने वाली राशि की सिफारिश; तथा

ग. समय-समय पर कम्पनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को मॉनीटर करना।

5.4 कोरम

कोरम कुल संख्या का एक तिहाई या दो होगा, इसमें से जो ज्यादा हो।

5.5 अध्यक्ष

इनमें से चयनित एक सदस्य कम्पनी के अंतर्नियम के अनुरूप कम्पनी का अध्यक्ष होगा।

5.6 मुख्य दिशानिर्देश एवं पैरामीटर:

क) सी.एस.आर. की गतिविधियां को करने हेतु क्षेत्रों की पहचान के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श एवं चर्चा ताकि केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे इसी प्रकार के कार्यक्रमों के कपटाचार से बचा जा सके। सरकारी एवं सैल्फ हैल्प ग्रुप (एस.एच.जी) इत्यादि की पहल, डी.एफ.सी.सी.आई.एल द्वारा की गई पहल के अनुरूप/सहक्रिया होगी ।

ख) सी.एस.आर. गतिविधियों की पहचान के दौरान डी.एफ.सी.सी.आई.एल के व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों पर बल दिया जाए। परियोजना की योजना बनाने से पूर्व पहले समुदाय की मांग एवं आवश्यकता को जानने के लिए सर्वे कर लिया जाए।

ग) हितलाभ प्राप्त करने वाले स्थानीय प्राधिकार, संस्थान इत्यादि को इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए और यदि आवश्यक हो तो सी.एस.आर कार्यक्रम की प्लानिंग एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में इनसे परामर्श किया जाए।

घ) आवश्यकता विश्लेषण, सर्वे के आधार पर विस्तृत कार्यक्रम रिपोर्ट तैयार की जाए जो कार्यान्वयन, संबंधित बजट तथा कार्यान्वयन एजेंसी के लिए विषय-वस्तु उद्देश्य, मुख्य माइलस्टोन, टाइम फ्रेम दर्शाए। सी.एस.आर गतिविधि में निवेश परियोजना पर आधारित होगा और प्रत्येक परियोजना के लिए टाइम फ्रेम एवं आवधिक लक्ष्य को प्रारंभ में समवर्ती एवं अंतिम मूल्यांकन के लिए निश्चय मात्रा के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा।

ङ) सुनिश्चित करें कि सी.एस.आर गतिविधियां डी.एफ.सी.सी.आई.एल की अनुमोदित नीति के अुनरूप हैं। संपोषित विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा।

च) समझौता ज्ञापन/अनुबंध के अंतर्गत सी.एस.आर परियोजनाएं एन.जी.ओ/विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपी जाएं जिसमें परस्पर निबंधन एवं शर्तों को दर्शाया जाए । समिति अनुबंधित एजेंसी की विश्वसनीयता तथा पोस्ट ट्रैक रिकार्ड को सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास करेगी और केवल अच्छी प्रतिष्ठा वाली एजेंसी को कार्य सौंपा जाए।

छ) सूचना का संकलन एवं वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि तैयार करना।

ज) सी.एस.आर. के प्रोत्साहन के लिए सूचना के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न अन्य विभागों/पी.यू.एस. के साथ समन्वय तथा विभिन्न एजेंसी द्वारा गतिविधियों में सामंजस्य सुनिश्चित करना।

झ) सी.एस.आर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डी.एफ.सी.सी.आई.एल के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण वर्कशाप एवं सेमीनार आयोजित करना।

5.7 निधि आबंटन:

क) कम्पनी अधिनियम एवं डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभ कमाने वाली सभी सी.पी.एस.ई. के लिए यह अनिवार्य है कि वे सी.एस.आर गतिविधियां करें। यद्यपि सी.पी.एस.ई. जो सकल मूल्य, कुल बिक्री या शुद्ध लाभ की थ्रैशहोल्ड सीमा पर आधारित पात्रता मानदंड के अंतर्गत कवर नहीं है जैसाकि कम्पनी अधिनियम की धारा 135(1) द्वारा विनिर्दिष्ट है, परंतु जो किसी वर्ष विशेष में लाभ कमाती है उसे भी अधिनियम, सी.एस.आर नियमों तथा दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत सी.एस.आर गतिविधियां करनी अपेक्षित होंगी । ऐसे सी.पी.एस.ई. को गत वर्ष के दौरान हुए लाभ का कम से कम 2% सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय करना होगा। तदनुसार, कम्पनी के आगामी तीन वित्तीय वर्षों के दौरान या समझौता ज्ञापन के लक्ष्य, इनमें से जो ज्यादा हो के औसत सकल लाभ की कम से कम 2% की राशि निधि में आबंटित करनी होगी।

ख) सी.एस.आर निधि के आबंटन में वृद्धि सी.एस.आर समिति के अनुमोदन से होगी और इसमें निदेशक मंडल द्वारा अनुवर्ती अनुसमर्थन अपेक्षित होगा।

6.0 मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

क) की जा रही सी.एस.आर गतिविधियों के प्रभाव का निर्धारण यथासंभव बेसलाइन डेटा सीमा से किया जाए, जोकि किसी परियोजना के प्रारंभ होने से सृजित किया जाए। अत: बेस-लाइन सर्वे, सी.एस.आर. कार्यक्रम का अविभाज्य हिस्सा होगा ताकि प्रगति को मापा जा सके। जहां कहीं भी संभव हो फोटोग्राफिक रिकार्ड रखा जाए।

ख) सी.एस.आर गतिविधियों की उचित एवं आवधिक मॉनीटरिंग के लिए यदि आवश्यक हो तो, सी.एस.आर के अंतर्गत किए गए कार्यक्रमों का मूल्यांकन उपयुक्त बाह्य स्वतंत्र एजेंसी द्वारा करवाया जाए और मूल्यांकन समवर्ती एवं अंतिम दोनों होना चाहिए।

7.0 सी.एस.आर गतिविधियों की रिपोर्टिंग

क) डी.एफ.सी.सी.आई.एल भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित सी.एस.आर गतिविधियों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट में अलग से पैरा सम्मिलित करेगा ।

ख) डी.एफ.सी.सी.आई.एल के वार्षिक लेखा में सी.एस.आर. गतिविधि के शीर्ष व्यय के अंतर्गत सी.एस.आर गतिविधियों को भी दर्शाएगा।

ग) प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या प्रथम अप्रैल 2014 के बाद से संबंधित इन नियमों के अंतर्गत कवर कम्पनी के बोर्ड की रिपोर्ट सी.एस.आर. पर वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित होगी जिसमें संलग्नक-III में विनिर्दिष्ट विवरण होगा।

8.0 डी.एफ.सी.सी.आई.एल वेबसाइट पर सी.एस.आर. गतिविधियों का डिस्प्ले

डी.एफ.सी.सी.आई.एल की सी.एस.आर नीति, निदेशक मंडल् द्वारा विधिवत् अनुमोदित होगी और संलग्नक-III में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार कम्पनी की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित किया जाए ।

9.0 संशोधन

सी.एस.आर. नीति में कोई भी परिवर्तन/संशोधन निदेशक मंडल के अनुवर्ती समर्थन के साथ सी.एस.आर. समिति द्वारा किया जाएगा ।

संलग्नक-II

गतिविधियों की निर्देशात्मक सूची जिन्हें डी.एफ.सी.सी.आई.एल की सी.एस.आर नीति के अंतर्गत डी.एफ.सी.सी.आई.एल द्वारा किया जा सकता है ।

i) भूख, गरीबी तथा कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं साफ-सफाई उन्नयन तथा साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना।

ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को प्रोत्साहन तथा रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय निपुणता विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, प्रौढ़ तथा डिफरेंटली एवल्ड के बीच तथा जीविका वृद्धि परियोजना।

iii) महिला-पुरूषों को समान प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं एवं अनाथ के लिए मकान एवं होस्टल बनाना; वृद्ध आश्रम का निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर एवं अन्य ऐसी सुविधाएं तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों द्वारा सामना की जा रही असमानता को कम करने के उपाय करना।

iv) पर्यावरण संपोषण, इकोलॉजिकल बैलेंस सुनिश्चित करना, वनस्पति एवं जीवजन्तु सुरक्षा, पशु कल्याण, एग्रोफॉरेस्टी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा भूमि, वायु एवं पानी की गुणवत्ता बनाए रखना ।

v) ऐतिहासिक महत्व की बिल्डिंग एवं स्थल के जीर्णोद्धार सहित राष्ट्रीय सम्पत्ति, कला एवं संस्कृति की संरक्षा तथा वर्कस ऑफ आर्ट; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; परम्परागत कला एवं दस्तकारी का प्रोत्साहन एवं विकास।

vi) सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, वार विडो तथा उनके आश्रितों के हितलाभ के उपाय।

vii) ग्रामीण खेलकूद, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलकूद, पैरा ऑलम्पिक खेलकूद तथा ऑलम्पिक खेलकूद के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण ।

viii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा सहायता एवं कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अन्य कोष में योगदान।

ix) शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत स्थापित तकनीकी इनक्यूबेटर्स को योगदान या निधि उपलब्ध कराना जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है ।

x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं ।